



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1943 (श0)
(सं0 पटना 100) पटना, वृहस्पतिवार, 10 मार्च 2022

i; kōj. k̄ ou , oat yok qifjoRkZ foHkx

अधिसूचना

8 मार्च 2022

सं० 2/आरामिल-09/2021-816/प०व०ज०प०—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4321, दिनांक 26.11.2021 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त दिशा-निर्देश, 2021 का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

l q; k&2@vjkfet &09@2021&4321

fcglj dk'B v/kfjr m| l& fuošk i kR lgu fn'lk funZk 2021

26 uoEj 2021

1- i lrkouk&बिहार काष्ठ आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2020 को सरकार के संकल्प संख्या 2/वन विविध-16/2018 2335 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु और इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिये इन दिशा-निर्देशों को निर्मित किया गया है।

बिहार के 38 जिलों में कुल 2272 लाइसेंस प्राप्त आरा मिल, 279 विनियर मिल, 142 प्लाईवुड उद्योग और कई फर्नीचर बनाने वाली इकाईयां हैं। काष्ठ आधारित उद्योग में तकनीक का उपयोग अद्यतन मानक के नहीं हैं। अकुशल संयंत्र और मशीनरी के उपयोग से मूल्य वर्धित उत्पाद की गुणवत्ता कम होती है और कच्चे माल की बर्बादी भी अधिक होती है। यह दिशा-निर्देश निवेश लाने एवं वर्तमान में स्थापित आरा मिल, विनियर मिल और प्लाईवुड इकाईयों के साथ-साथ फर्नीचर बनाने वाली इकाई के लिए सकारात्मक व्यापार की परिस्थितियां बनायेगी। उक्त दिशानिर्देश वर्तमान काष्ठ आधारित उद्योग के विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण/तकनीक उन्नयन फर्नीचर बनाने की इकाई को जोड़ने तथा स्थापित उद्योगों की गुणवत्ता एवं सह-क्रियाशीलता में वृद्धि में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त उक्त, दिशानिर्देश असंगठित क्षेत्र और मौजूदा छोटे फर्नीचर और अन्य आधुनिक कलाकृतियों को बनाने वाली इकाईयों के शिल्पकारों की सहायता करेगी। इस क्षेत्र में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

2. मशीनों और उपकरणों की सूची:

- 2.1 मशीनों और उपकरणों की एक सूची तैयार की जाएगी और आरा मिल, प्लाईवुड इकाइयों, विनियर मिलों, फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों, शिल्पकारों आदि के लिए लागत मानदंड तैयार किया जाएगा। अद्यतन तकनीक के साथ तालमेल रखने के लिए इस क्षेत्र की आवश्यकता और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सूची को बढ़ाया, अद्यतन और उन्नत किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं में सूचिबद्ध उपकरणों के अलावा अन्य उपकरणों के प्रस्ताव को तकनीकी सहायता समूह द्वारा संवीक्षा की जायेगी और अनुमोदन के लिए परियोजना अनुश्रवण समिति को भेजा जायेगा।
- 2.2 आरा मिल इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों/उपकरणों की सूची— अनुलग्नक I
- 2.3 विनियर मिल इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों/उपकरणों की सूची— अनुलग्नक II
- 2.4 प्लाईवुड इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों/उपकरणों की सूची—अनुलग्नक III
- 2.5 फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों/उपकरणों की सूची—अनुलग्नक IVA
- 2.6 आधुनिक फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों की सूची—अनुलग्नक IVB
- 2.7 शिल्पकार इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों की सूची— अनुलग्नक V
- 2.8 बाँस/बेत/कागज और अन्य काष्ठ आधारित इकाइयों के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों की सूची अनुलग्नक VI

टिप्पणी— अन्य उपकरणों को आवश्यकतानुसार सूची में जोड़ा जाएगा। चूंकि दिशानिर्देशों में संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, अपव्यय को कम करने, गुणवत्ता और लागत की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयों के एकीकरण की परिकल्पना की गई है अतएव आवश्यकता के अनुसार निवेशक विभिन्न अनुलग्नकों में सूचीबद्ध जैसे आरा मिल इकाइयों, विनियर इकाइयों, प्लाईवुड इकाइयों, फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों, आधुनिक फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों, शिल्पकार इकाइयों, और बाँस/बेत/कागज इकाइयों इत्यादि में सूचीबद्ध मशीनों का मिश्रण बना और आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त बना सकते हैं।

3. आवेदन कौन कर सकते हैं।—इन दिशा निर्देशों के तहत नये निवेशक/उद्यमी/वर्तमान काष्ठ आधारित इकाइयां/शिल्पकार/स्थानीय फर्नीचर बनाने वाली इकाइयां/बाँस उत्पाद बनाने वाली इकाइयां वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। निवेशक स्वामित्व, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी (एल०एल०पी०), संस्था या सुसंगत अधिनियम में पंजीकृत समिति आदि के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

4. अहर्ता:

- 4.1 निवेशक श्रेणी 'क' और 'ख'
 - 4.1.1 आवेदक का एक मजबूत वित्तीय आधार रहना चाहिए। आवेदक (आवेदकों) की शुद्ध संपत्ति याचित अनुदान राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
 - 4.1.2 आवेदक द्वारा परियोजना के लिए जमीन की व्यवस्था, क्रय अथवा कम से कम 30 वर्षों के लिए लीज पट्टा पर किया जायेगा तथा यह प्रस्तावित उद्योग इकाइ के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।
 - 4.1.3 निवेशक/आवेदक, जिसने किसी परियोजना के लिए इस नीति के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर लिया है, किसी अन्य परियोजना के लिए इस नीति के तहत तबतक आवेदन करने की अर्हता नहीं प्राप्त करेंगे, जबतक कि पहली परियोजना का परिचालन का एक माह पूरा नहीं हो जाता है।
 - 4.1.4 दिशा—निर्देशों में विहित शर्तों को पूरा किये जाने पर प्रस्तावों को विचारण योग्य माना जायेगा। प्रस्तावों का चयन किया जाएगा:
 - क. पहला, योग्यता के आधार पर। यह विभिन्न कारकों पर आधारित होगा, अन्य बातों के साथ, नवाचार, रोजगार सृजन निवेश की राशि, बिहार में परियोजना की विशिष्टता, स्थानीय संसाधनों का उपयोग आदि।
 - ख. दूसरा, पूर्ण आवेदन जमा करने की तिथि।
वार्षिक लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं की संख्या समाप्त होने तक बजट की उपलब्धता के अध्यधीन,
- 4.2 शिल्पकार श्रेणी—'ग' और 'घ'
 - 4.2.1 कुशल, अर्ध—कुशल शिल्पकार छोटे फर्नीचर और अन्य काष्ठ आधारित अन्य कलाकृतियां बनाने वाली इकाइयों को सहायता प्रदान करते हैं, जो स्थानीय फर्नीचर बनाने वाली इकाइयों के कम से कम 10 श्रमिकों को नियोजित करती है और
 - 4.2.2 बिहार के निवासी शिल्पकार काष्ठ पर आधारित कार्यों में लगे हुए हैं।

5. श्रेणी 'क' और 'ख' के निवेशक/आवेदक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:

- 5.1 नीति संबंधी अभिलेखों तथा विवरणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा दिशा-निर्देश के अनुरूप निदेशानुसार आवेदन जमा करना।
- 5.2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) का सूत्रण तथा समर्पित आवेदन प्रपत्र के अनुरूप कार्यान्वयन, कार्यावधि में ससमय परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;
- 5.3 परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान एवं वित्त का ससमय तथा विवेकपूर्ण अन्त उपयोग सुनिश्चित करना।
- 5.4 पर्यावरणीय अनुमति समेत परियोजना आरंभ करने तथा परिचालन हेतु सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदनों/अनुमतियों को प्राप्त करना।
- 5.5 वित्तीय समापन प्राप्त करना और विनिर्दिष्ट समय सीमा में परियोजना को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।
- 5.6 सामर्थ्यकारी बुनियाद ढांचे का स्वामित्व और रख-रखाव।
- 5.7 परियोजना क्रियान्वयन का उचित लेखा-जोखा रखना और परियोजना के चालू होने के बाद आधारभूत संरचना और सुविधाओं का रख-रखाव परियोजना के चालू होने की तिथि से 5 वर्षों तक के लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति के साथ परियोजना के कामकाज के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- 5.8 परियोजना के ससमय प्रगति के बारे में विभाग को प्रतिवेदित करना (स्थल के चित्र/तस्वीरों के साथ उचित प्रगति प्रतिवेदन जमा करें) और यथावश्यक अनुश्रवण एवं निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
- 5.9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के साथ समझौते में निहित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना।

6. आवेदन कब करें।—आवेदन ऑनलाइन जमा किये जायेंगे और यह एक सतत प्रक्रिया होगी।

7. आवेदन प्राप्त करना।—विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन और अनुदान के संबंध में सूचना विभाग के वेबसाइट <http://forest.bih.nic.in/> से प्राप्त की जा सकती है।

8. आवेदन कैसे करें :-

- 8.1 विधिवत भरा हुआ आवेदन और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन जमा किया जाएगा और पृच्छा भी, यदि कोई हो, ऑनलाइन उठाया जायगा जिसकी सूचना आवेदक को ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जायेगी (यदि दिया गया हो),
- 8.2 श्रेणी 'क' परियोजना के मामले में, जहां आवेदक बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने लिए पात्र है और इच्छुक है, आवेदक को पहले राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द से चरण-1 की मंजूरी प्राप्त करनी होगी और फिर ऑनलाईन पोर्टल पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एस.आई.पी.बी. सचिवालय द्वारा जारी चरण-1 निकासी पत्र के साथ आवेदन देना होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं, वे सीधे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
 - 8.2.1 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत केवल वही विस्तार/आधुनिकीकरण ईकाइयां अनुदान के लिए पात्र है, जिनमें इस तरह के विस्तार/आधुनिकीकरण से पहले स्थापित क्षमता मौजूदा स्थापित क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ रही है। इसी तरह, विविधीकरण के मामले में केवल वही ईकाइयां प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जहां विविधीकरण की परियोजना लागत मौजूदा ईकाई की परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खंड 2(4)(जी) के अनुसार, केवल वे ईकाइयां नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जहां निवेश रु 25 लाख या अधिक या जो 25 श्रमिकों/व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।
- 8.3 श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के मामले में, आवेदक को पहले राज्य से चरण-1 की मंजूरी लेनी होगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द और उसके बाद एस.आई.पी.बी. सचिवालय द्वारा जारी किए गए चरण-1 स्वीकृति पत्र के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करें।
 - 8.3.1 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खंड 2(4)(जी) के अनुसार केवल वे ईकाइयां इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जहां निवेश रु 25 लाख या इससे अधिक या जो 25 श्रमिकों/व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती हैं।
- 8.4 एस.आई.पी.बी. द्वारा परियोजना लागत मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ संयंत्रों और मशीनरी की लागत, सिविल निर्माण की लागत और इन दिशा-निर्देशों के तहत प्रस्तावित भूमि और कार्यशील पूँजी की लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

9. लाभार्थी चयन—श्रेणी 'क' और 'ख' के तहत लाभार्थियों का चयन कंडिका 4.1.4 के तहत प्रदान किए गए और तरीकों के अनुसार किया जाएगा। श्रेणी 'ग' और 'घ' के तहत लाभार्थियों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा, श्रेणी 'ग' और 'घ' के लिए जिलेवार लक्ष्य आवंटित किया जा सकता है। यथासंभव श्रेणी 'ग' के तहत समूहों में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी।

10. बजट—इस दिशा-निर्देशों के तहत विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, किन्नरों, दिव्यांगों, युद्ध विधवा, तेजाब पीड़ित को लाभान्वित करने हेतु पृथक राशि कर्णांकित करेगा। आधारभूत अर्हता मानकों को पूरा करने की शर्त पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, किन्नरों, दिव्यांगों, युद्ध विधवा, तेजाब पीड़ित के परियोजनाओं की स्वीकृति, को इस दिशानिर्देश के तहत प्रत्येक श्रेणी के लिए कर्णांकित राशि की सीमा तक प्राथमिकता दी जायेगी।

11. एकीकृत निकासी प्रणाली—निवेश प्रस्ताव की मंजूरी और अनुमोदन के उद्देश्य से एक समर्पित प्रणाली स्थापित की जायेगी। निवेश प्रस्ताव की मंजूरी निम्नवत् विहित चार चरणों में प्रदान की जायेगी:—

- 11.1 तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) द्वारा तकनीकी जांच (चरण-I) — तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) आवेदन की पूर्णता, पात्रता और वास्तविकता की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। आवेदनों की जांच के समय विभिन्न क्षेत्रों के कौशल परिषदों से विशेषज्ञ प्रतिनिधियों या अन्य विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है। तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) आवश्यक रूप से व्यापक क्षेत्र, निवेश के परिमाण, प्रस्ताव की व्यावहारता, मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और स्थान आदि को वर्गीकृत करेगा। तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) सूचना और/या दस्तावेजों की एक सूची निर्धारित कर सकता है जिन्हें आवेदक द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो। आवेदन की जांच के बाद, तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) इसे पूर्ण टिप्पणियां/प्रतिक्रिया/सिफारिश के लिए डी0एफ0ओ0 को भेजेगा। डी.एफ.ओ. अपनी सिफारिश ऑनलाइन जमा करेंगे। डी0एफ0ओ की टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/सिफारिशों को शामिल करने के बाद टी.एस.जी. तकनीकी सिफारिश प्रदान करेगा। डी.एफ.ओ. की टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/सिफारिशों के साथ तकनीकी सिफारिश पी0एम0सी0 को ऑनलाईन विचार के लिए प्रस्तुत की जायेगी। उपर्युक्त सिफारिशों के साथ सभी आवेदनों को परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.2 परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन (चरण-2)— चरण-2 अनुमोदन से तात्पर्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना को वित्तीय सहायता के सैद्धांतिक अनुमोदन से है। परियोजना अनुश्रवण समिति संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी की टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/सिफारिशों के साथ तकनीकी सहायता समूह की तकनीकी सिफारिश पर विचार करेगा, यदि आवश्यक हो तो, आवेदक को भी परियोजना अनुश्रवण समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जा सकता है। बजट की उपलब्धता एवं परियोजना के गुण और उनके पूर्ण आवेदन को जमा करने की तिथि के आधार पर या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है या परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे सकता है। उपलब्ध बजट से अधिक उपयुक्त आवेदनों की संख्या के मामले में, परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) अपने द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची पर निर्णय ले सकती है। अनुदान एवं दी जाने वाली वित्तीय सहायता के परिमाण के निर्धारण के उद्देश्य से परियोजना लागत की गणना दिशा-निर्देशों के अनुसार इस चरण में तय की जायेगी।
- 11.3 टी.एस.जी./डीएफओ द्वारा सत्यापन (चरण III) — सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद, आवेदक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करेगा। अनुदान के वास्तविक संवितरण से पहले, वन प्रमण्डल पदाधिकारी(डीएफओ) द्वारा क्षेत्र सत्यापन किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद निधि जारी करने के अनुरोध को तकनीकी सहायता समूह द्वारा जांच की जाएगी और डीएफओ को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा। वन प्रमण्डल पदाधिकारी (डीएफओ) भौतिक सत्यापन करेंगे, विपत्रों और दस्तावेजों की जांच करेंगे और धनराशि जारी करने के लिए अपनी सिफारिश ऑनलाईन समर्पित करेंगे।
- 11.4 वित्तीय सहायता का व्ययन (चरण IV) — डीएफओ से क्षेत्र प्रतिवेदन प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद कंडिका 11.5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रथम किस्त अनुमान्य अनुदान का 50 प्रतिशत जारी की जाएगी। आवेदक वांछित दस्तावेज/प्रमाण ऑनलाईन जमा करेंगे। इसी प्रकार, ईकाई/परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त के लिए आवेदक को आवेदन करना है। इस अनुरोध को प्रक्रिया से निष्पादित किया जाएगा जैसा कि पहली किस्त जारी करने के लिए और अनुमान्य अनुदान कंडिका 11.5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाएगी। उचित सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद सीधे डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी को धनराशि जारी की जाएगी।

- 11.5 परियोजना अनुदान के परिमाण में परिवर्तन— यदि अनुमोदित परियोजना/अनुदान परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं है और डेस्क जाँच एवं क्षेत्र सत्यापन में कोई प्रतिकूलता नहीं है तो इन दो चरणों की जाँच पूरा होने पर, निधि जारी करने का अनुरोध नोडल अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित किया जाएगा जो निर्धारित समय सीमा के भीतर निधि जारी करेंगे। परंतु अनुमोदित परियोजना/अनुदान के परिमाण में कोई परिवर्तन या क्षेत्र जांच या डेस्क जांच में कोई प्रतिकूलता पाये जाने पर टी.एस.जी. तथा डीएफओ की अभियुक्ति/प्रतिक्रिया के साथ निधि विमुक्ति के अनुरोध को पीएमसी के समक्ष उचित निर्णय लेने के लिए रखा जाएगा और अनुदान की विमुक्ति इस निर्णय के अनुसार होगी।

12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर पर प्रसंस्करण के लिए समय सीमा:—

- 12.1 चरण-1 टीएसजी द्वारा तकनीकी जाँच
- क. आवेदन में किसी प्रकार की कमी होने पर, दस्तावेज/अतिरिक्त सूचना की मांग 7 कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी।
- ख. पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, टीएसजी द्वारा जांच कार्य 15 कार्यदिवसों के भीतर की जाएगी। और डी. एफ. ओ.) को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।
- ग. डी. एफ. ओ. 10 कार्य दिवसों के भीतर टिप्पणी/प्रतिक्रिया/सिफारिश ऑनलाईन समर्पित करेंगे।
- घ. प्रतिवेदन प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्ताव को पी.एम.सी. के विचारार्थ ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।
- 12.2 चरण 2 पी.एम.सी द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन— चरण 1 के पूरा होने पर प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
- 12.3 चरण 3 (टी0एस0जी0/डी0एफ0ओ0 द्वारा सत्यापन) —
- क. अनुदान के पहली या दूसरी किस्त को मुक्त करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद 7 (सात) कार्यदिवसों के अन्दर टी0एस0जी0 के द्वारा डेस्क जांच।
- ख. टी0एस0जी0 द्वारा अग्रसारित अनुरोध प्राप्त होने के 10(दस) कार्यदिवसों के भीतर डी0एफ0ओ0 द्वारा क्षेत्र सत्यापन और प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
- 12.4 चरण-4 (वित्तीय सहायता का व्ययन)—
- क. यदि अनुमोदित परियोजना/अनुदान के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो तो, आवंटन की उपलब्धता के अनुसार, चरण-3 के पूरा होने और नोडल अधिकारी को अनुरोध अग्रेषित करने के सात कार्यदिवसों के भीतर।
- ख. पी0एम0सी0 द्वारा संशोधित विचार की आवश्यकता के मामले में चरण- III पूरा होने के बाद परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) द्वारा 30 दिनों के भीतर विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा और परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) के निर्णय के अनुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा पी0एम0सी0 का निर्णय संसूचित होने के सात कार्यदिवसों के भीतर निधि उपलब्धता के अधीन, राशि विमुक्त की जाएगी।

13. निवेशक के लिए समय-सीमा।—श्रेणी 'क' और 'ख' के लिए, मशीनों/उपकरणों/सिविल कार्य आदि की स्थापना और ईकाई को संचालित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (स्टेज II) के संसूचन की तिथि से 18 महीने है, जिसे ऐसी परिस्थिति में जो निवेशक के नियंत्रण में नहीं हो, अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक की विस्तारणीय अवधि की अनुमति परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) द्वारा तकनीकी सहायता समूह (टी0एस0जी0)/डी0एफ0ओ0 द्वारा निवेशकों के अनुरोध की जाँच के बाद दी जायेगी। अनुदान के द्वितीय किस्त की विमुक्ति के 5 वर्षों तक मशीन एवं उपस्कर/अन्य ढांचे निरीक्षण के अधीन होंगे। निरीक्षण नोडल अधिकारी या किसी अन्य स.व.स. से अन्यून श्रेणी के किसी वन अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। हालांकि निरीक्षण की आवृत्ति और दायरे के बारे में विस्तृत निर्देश पी0एम0सी0 के द्वारा जारी किये जायेंगे।

14. आवेदन पत्रों पर कार्रवाई और अनुश्रवण :

- 14.1 आवेदन पत्र को जमा करने/कार्रवाई/अनुश्रवण/निष्पादन के बाद के सभी प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाईन प्रणाली स्थापित की जायेगी।
- 14.2 नोडल पदाधिकारी आवेदन/अनुरोध के निष्पादन (प्रोसेसिंग) की नियमित अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चरणों में समय-सीमा का पालन किया जाये।
- 14.3 नोडल पदाधिकारी सैद्धांतिक अनुमोदन के संसूचन तथा वाद में दी जाने वाली अनुमतियों तथा निधि विमुक्ति के लिए प्राधिकृत होंगे।

15. विधि और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उपाय:

- 15.1 प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के लिए पी0एम0सी0 प्रक्रियाओं, विधि, निरीक्षण, निधि विमुक्ति, अनुश्रवण, सत्यापन आदि को सरल बना सकता है।

15.2 स्वीकृति के लिए निरीक्षण को युक्तिसंगत बनाना। उन स्वीकृतियों जिनमें निरीक्षण की आवश्यकता है, के लिए सभी सक्षम प्राधिकारों की संयुक्त निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

16. आवेदनों पर कार्रवाई के लिए शुल्क।—विभाग द्वारा आवेदक से अप्रतिदेय आवेदन शुल्क लिया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि परियोजना अनुश्रवण समिति (पी.एम.सी.) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

17. तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.)—इस दिशा-निर्देशों के तहत आवेदन करने, सहायता करने, निवेशकों, सहायक निवेशकों को लाने, प्रस्ताव की जांच, अनुदान गणना, अनुदान व्ययन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण में पी.एम.सी. को मदद करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एक तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का गठन करेगा। तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का गठन तीन अलग-अलग क्षेत्रों के चार विशेषज्ञ सदस्यों से निम्नवत् गठित होगा :

विशेषज्ञ	संख्या
टीम लीडर	एक
मशीन/उपकरण विशेषज्ञ	एक
काष्ठ आधारित उद्योग विशेषज्ञ	एक
वित्त विशेषज्ञ	एक

तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जहाँ परामर्श एजेंसियों को उपर्युक्त क्षेत्रों के तकनीकी मानव बल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

18. परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0)—प्रभावी योजना बनाने एवं क्रियान्वयन और दिशा-निर्देश के अनुश्रवण के लिए विभाग एक परियोजना अनुश्रवण समिति (पी0एम0सी0) का गठन करेगा। पी0एम0सी0 प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करेगा और निवेशकों/शिल्पकारों को इस दिशा-निर्देश के तहत पूंजीगत अनुदान विमुक्त करने की मंजूरी प्रदान करेगा। परियोजना अनुश्रवण समिति की संरचना निम्नवत् होगी।:-

inL:	in
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना)	अध्यक्ष
प्रधान मुख्य वन संरक्षक HoFF)	सदस्य
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)	सदस्य
एक पी.सी.सी.एफ/ए.पी.सी.सी.एफ स्तर का अधिकारी (ए.सी.एस/प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनीत)	सदस्य
वित्त विभाग का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)	सदस्य
उद्योग विभाग का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)	सदस्य
नोडल पदाधिकारी (विभाग द्वारा अधिसूचित वन संरक्षक के पद से अन्यून)	सदस्य सचिव
संबंधित क्षेत्र/जिला के क्षे.मु.व.सं. एवं व.प्र.प.	विशेष आमंत्रित

19. वित्तीय प्रोत्साहन और पात्र ईकाई।—दिशानिर्देशों का उद्देश्य बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में प्रावधानित समर्थन के अलावा बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों/इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए (व्यक्तिगत निवेश/शिल्पकारों के लिए) अतिरिक्त समर्थन (बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016) के माध्यम से साथ-साथ काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

श्रेणी	ईकाई	अनुदान	परियोजना का कार्यक्षेत्र
श्रेणी 'ए'	मौजूदा काष्ठ आधारित औद्योगिक ईकाई	परियोजना अनुदान का पात्र होने के लिए परियोजना लागत कम से कम 10 लाख रुपये होना चाहिए। अनुदान, परियोजना लागत का 35 प्रतिशत होगी जो अधिकतम 70 लाख रुपये के अन्तर्गत होगी। प्रथम किस्त— 50 प्रतिशत (संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद) दूसरा किस्त— 50 प्रतिशत (ईकाई/परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद)	1. विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण/बर्बादी को कम करने/अपशिष्ट उपयोग/गुणवत्ता सुधार, मूल्यवर्धन और तालमेल को बढ़ाने के लिए मौजूद काष्ठ आधारित उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्वयन। 2. कौशल और रोजगार सृजन।
श्रेणी 'बी'	नई समेकित काष्ठ आधारित औद्योगिक ईकाइयां	अनुदान के पात्रता के लिए परियोजना को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद् द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और परियोजना लागत कम से कम 50 लाख रुपये होनी चाहिए। अनुदान, परियोजना लागत का 35	1. नया समेकित काष्ठ आधारित औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना। 2. कौशल और रोजगार सृजन

		प्रतिशत होगी जो अधिकतम परियोजना लागत का न्यूनतम रु 50 लाख होना आवश्यक 175 लाख रुपये होगी। प्रथम किस्त- 50 प्रतिशत (संयंत्र और मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद) दूसरा किस्त-50 प्रतिशत (ईकाई/परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद)	
श्रेणी 'सी'	छोटे फर्नीचर और अन्य काष्ठ आधारित वस्तु बनाने वाले ईकाइयों को समर्थन जिसमें कम से कम 10 श्रमिक नियोजित हों।	कौशल उन्नयन सहित औजार और उपकरणों हेतु 2,00,000/- रुपये प्रति ईकाई का अनुदान।	1. आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग द्वारा गुणवत्ता में सुधार, अपशिष्ट में कमी और/अथवा मूल्यवर्धन। 2. कौशल उन्नयन।
श्रेणी 'डी'	वैयक्तिक शिल्पकार	कौशल उन्नयन सहित आधुनिक उपकरणों और औजार के लिए प्रति व्यक्ति रु 50,000 तक का अनुदान।	1. आधुनिक औजार एवं उपकरणों के इस्तेमाल द्वारा गुणवत्ता में सुधार, अपशिष्ट में कमी और मूल्यवर्धन। 2. कौशल उन्नयन।

टिप्पणी:-

1. उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के लिए लागत मानदंड इस दिशा-निर्देशों के परिशिष्टों के अनुसार होंगे।

2(i) श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' की ईकाइयों का मामला, जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहती है, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख वही होगी जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुलग्नक 1-परिभाषाएँ, ए-सामान्य परिभाषाएँ 7(उत्पादन की विधि)। ऐसे मामले में, उद्योग विभाग द्वारा इस तिथि के निर्धारण के बाद ही दूसरी किस्त जारी करने पर विचार किया जाएगा।

(ii) परंतु, यदि श्रेणी 'बी' के तहत की कोई ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत कोई लाभ नहीं लेना चाहती है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और उद्योग विभाग दोनों को (एसओआई0पी0बी0 के चरण- I मंजूरी के बाद) इस आशय का एक घोषणा देंगी। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की तिथि सहित शेष सभी कार्रवाई निवेशक की घोषणा के अनुसार होगी जो इस दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधान के अनुसार उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद पी0एम0सी0 द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) श्रेणी 'ए' के तहत की कोई ईकाई, जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं करना चाहती है, सीधे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को आवेदन देगी।

20- केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और दिशा-निर्देशों के साथ समायोजन।-केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ प्रोत्साहन के समायोजन की अनुमति होगी और वे प्रस्तावित अनुदानों के अतिरिक्त होंगी।

बशर्ते कि, यदि निवेशक बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 या उसके आगे की नीतियों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करता है, तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत सरकारी सहायता एवं बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत पूंजीगत अनुदान का योग बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के पैरा 5.2.1 में प्रावधानित मौद्रिक सीमा से अधिक नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत सरकारी सहायता से अन्यथा कोई प्रोत्साहन बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 की कंडिका 5.2.1 में प्रावधानित सीमा के अतिरिक्त होगा।

21. अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज।-राज्य में अति पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए इन श्रेणियों के उद्यमी पॉलिसी के तहत 5% अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करेंगे। परंतु कुल मिला कर मौद्रिक सीमा यथावत रहेगी। विभाग इन श्रेणियों के उद्यमियों के लिए राशि कर्णांकित करेगा।

22. महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, तेजाब हमले के शिकार और किन्नर निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज—महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, युद्ध विधवाओं, तेजाब हमले के शिकार और किन्नर निवेशकों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उपरोक्त श्रेणियों के उद्यमी नीति के तहत 5% अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करेंगे परन्तु कुल मिलाकर मौद्रिक सीमा यथावत रहेगी। विभाग इन श्रेणियों के उद्यमियों के लिए निधि कर्णांकित कर सकेगा।

नोट—कोई आवेदक विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ उपरोक्त कंडिका 21 और कंडिका 22 में दिये गये श्रेणियों में से केवल एक के तहत ले सकता है।

23. बजट :

- 23.1 वार्षिक कार्य योजना (ए०ए०पी०)/बजट टी०एस०जी० द्वारा नोडल पदाधिकारी की देखरेख में तैयार किया जायेगा।
- 23.2 वार्षिक कार्य योजना/बजट तैयार करते समय निधियों का सांकेतिक निर्धारण श्रेणी सी और श्रेणी डी के लिए अलग-अलग किया जाएगा।
- 23.3 उपरोक्त पैरा 21 और पैरा 22 के अन्तर्गत आने वाली विशेष श्रेणियों के लिए अलग से निधियाँ कर्णांकित की जायेंगी।
- 23.4 श्रेणी 'ग' और 'घ' के लिए, प्रत्येक जिले के लक्षित लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या तय की जा सकती है।
- 23.5 श्रेणी 'ग' और 'घ' के तहत विभाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा मेला-सह-प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा सकता है जहां मशीन उपकरण, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, लाभार्थी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि लाभार्थियों को अपनी पसंद के मानक मशीन टूल्स/उपकरण खरीदने का अवसर मिल सके। विस्तृत तौर-तरीके पी०एम०सी० द्वारा तय किये जाएंगे।

24. मशीनरी/उपकरण की खरीद—लाभार्थी/निवेशक अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ब्रांड चुनने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु अनुदान/लागत मानदण्ड की सीमा तक ही सीमित रहेगी। मशीन और उपकरण अधिकृत एजेंसी यदि कोई हो, द्वारा प्रमाणित उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।

25. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण :

- 25.1 तकनीकी सहायता समूह वार्षिक कार्य योजनाओं के एक घटक के रूप में प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम तैयार करेगा।
- 25.2 वांछित क्षेत्र में लाभार्थी के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उद्योग/संस्थानों/कौशल परिषद के साथ भागीदारी करेगा।
- 25.3 श्रेणी-‘ग’ और ‘घ’ के तहत प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान वन प्रमण्डल पदाधिकारी करेंगे और ऑनलाईन आवेदन दाखिल करने में उन्हें सहयोग करेंगे। सूची नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसे संकलित करेंगे और अभिलेख संधारित करेंगे।
- 25.4 श्रेणी-‘ग’ के लिए 2,00,000 रुपये में से अधिकतम 20,000 रुपये और श्रेणी-‘घ’ के लिए 50,000 रुपये में से अधिकतम 5,000 रुपये का उपयोग लाभार्थी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किया जा सकता है। यदि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर कम राशि खर्च की जाती है तो मौद्रिक सीमा तक की शेष राशि का उपयोग लाभार्थियों को उपकरण और उपकरणों के प्रावधान में किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण लागत मौद्रिक सीमा से अधिक है तो अतिरिक्त व्यय का वहन वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में बजट शीर्ष के तहत उपलब्ध निधि से किया जाएगा।
- 25.5 मशीनों और उपकरणों के प्रदर्शन के लिए निर्माताओं को भागीदार के रूप में रखा जा सकता है।
- 25.6 आवश्यकता के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रदर्शन के लिए मशीनरी और उपकरण खरीद सकता है। प्रदर्शन के लिए मशीनरी खरीद के प्रस्ताव तकनीकी सहायता समूह द्वारा वार्षिक कार्य योजना के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि मशीनरी की खरीद विभाग के आम बजट से की जाएगी। निधि आवंटन के लिए पीएमसी द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- 25.7 सभी प्रदर्शनी तकनीकी सहायता समूह के सूक्ष्म पर्यवेक्षण में किए जाएंगे जिनका अभिलेख तैयार कर अभिलिखित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी के लाभ एवं लागत की सार्थकता को जानने के लिए विश्लेषण किया जायेगा। प्रदर्शन की सफलता की कहानी का अभिलेख तैयार किया जायेगा और इसका प्रसारण राज्य में अन्य लाभार्थियों के फायदा के लिए किया जायेगा।
- 25.8 तकनीकी सहायता समूह कौशल में सुधार और तकनीक को अपनाने आदि के संदर्भ में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के परिणाम का अनुश्रवण करेगा और समय-समय पर परियोजना अनुश्रवण समिति को प्रतिवेदित करेगा।

26. भूमिकाएं और जिम्मेदारी—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। परियोजना प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायता समूह और वन पदाधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी इस प्रकार है।

27- परियोजना प्रबंधन समिति (PMC) पी.एम.सी. राज्य की सर्वोच्च निकाय होगा जो:

- 27.1 निवेश में सुधार, प्रौद्योगिकी के प्रवेश एवं उत्थान, कौशल वृद्धि, परियोजना संचालन में बाधाओं को दूर करने के कुल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचालन दिशा-निदेश के सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा।
- 27.2 दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए समग्र निदेश और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- 27.3 दिशा-निर्देशों की प्रगति और प्रदर्शन का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगा।
- 27.4 आवेदन शुल्क की राशि समय-समय पर विनिश्चित करेगा।
आवश्यकतानुसार समिति की बैठक होगी। परन्तु जहां तक संभव हो महिने में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी।

28. तकनीकी सहायता समूह और नोडल पदाधिकारी:

- 28.1 तकनीकी सहायता समूह परियोजना अनुश्रवण समिति (PMC) को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी एवं नोडल पदाधिकारी के दिन-प्रतिदिन निगरानी में कार्य करेगी।
- 28.2 टी0एस0जी0 योजना बनाने, निवेशकों को पकड़े रहने, जाँच, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं दिशा-निर्देशों में विभिन्न हस्तक्षेपों के मूल्यांकन में मदद करेगा और नोडल पदाधिकारी को प्रत्युत्तर प्रदान करेगा।
- 28.3 टी0एस0जी0 राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के आरम्भ (मार्च-अप्रैल) में संसूचित अनुमानित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप राज्यस्तरीय वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा।
- 28.4 टी0एस0जी0 आवेदक द्वारा दी गयी उन घटकों के सम्भावित लागतों की तुलना करेगा जिनके लिए दिशा-निर्देशों में लागत मानदंड/वित्तीय सहायता के पैटर्न प्रदान किए गए हैं और अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों को अभिलिखित करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित उन घटकों के लिए, जो दिशा-निर्देश में प्रदान नहीं किए गए हैं, टी0एस0जी0 बाजार मूल्य का पता लगाएगा और प्रस्ताव की तर्कसंगतता के संबंध में अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों को दर्ज करेगा।
- 28.5 यदि आवश्यक हो तो नोडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार और इसके अंतर्गत कार्यरत अन्य संस्थानों के पास उपलब्ध विषय वस्तु विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करेगा।
- 28.6 टी0एस0जी0 विभिन्न हितधारकों के बीच सुचारू कार्यात्मक सम्पर्क सुनिश्चित करेगा।
- 28.7 तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माताओं के ब्यौरा, बिक्रेता तथा बाजार अध्ययन एवं उस क्षेत्र के मुख्य उद्योगों के अध्ययन/भ्रमण के आधार पर बाजार मूल्य के साथ मशीनों/उपकरणों/औजारों की सूची का संधारण और अद्यतनीकरण। यह संभावित आवेदकों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा और लागत मानदंडों के साथ नए उपकरणों को इस दिशा-निर्देश में जोड़ने का आधार भी बन सकता है।
- 28.8 उद्योग के समर्थन से सभी हितधारकों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन तथा इस हेतु सामग्री का संकलन।
- 28.9 लाभार्थी के चयन एवं वित्तीय सहायता की विमुक्ति के संबंध में मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करेगा।
- 28.10 टी0एस0जी0 ऑनलाईन समर्पित सभी आवेदनों की पूर्णता की सावधानीपूर्वक जांच करेगा, पात्रता और वास्तविकता सुनिश्चित करेगा। टी0एस0जी0 प्रस्तावित निवेश के व्यापक क्षेत्र, निवेश का परिमाण, प्रस्ताव के व्यावहारिकता, आवश्यक मशीन और उपकरण, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और स्थान आदि का वर्गीकरण करेगा। टी0एस0जी0 सूचना और/या दस्तावेजों की एक सूची विहित कर सकता है जो आवेदक से अतिरिक्त रूप से मांगी जा सकती है। आवेदन की जांच के बाद, टी0एस0जी0 इसे टिप्पणी/प्रतिक्रिया/सिफारिश के लिए डी.एफ.ओ. को भेजेगा। डी.एफ.ओ. अपनी सिफारिशें ऑनलाईन जमा करेंगे। टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/सिफारिशों को समाविष्ट करने के बाद टी.एस.जी. तकनीकी सिफारिश प्रदान करेगा। डी.एफ.ओ. की टिप्पणियों/प्रतिक्रिया/सिफारिशों के साथ तकनीकी सिफारिश पी.एम.सी. के विचारण हेतु ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा। उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ सभी आवेदन अनिवार्य रूप से पी.एम.सी. को समर्पित किये जायेंगे।
- 28.11 चरण. III के भाग के रूप में, आवेदक द्वारा संयंत्र और मशीनरी के क्रय और स्थापना के बाद निधि जारी करने के अनुरोध की टी0एस0जी0 द्वारा डेस्क जांच की जायेगी और वन प्रमण्डल पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा। वन प्रमण्डल पदाधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे, विपत्रों और दस्तावेजों की जांच करेंगे और निधि विमुक्त करने के लिए अपनी अनुशंसा ऑनलाईन समर्पित करेंगे। यदि स्वीकृत परियोजना/अनुदान राशि में कोई परिवर्तन नहीं है और डेस्क जांच तथा स्थल सत्यापन में कोई प्रतिकूलता नहीं पायी जाती है तो जांच के इन दो चरणों के पूरा होने के बाद निधि जारी किया जाएगा। पहली किस्त जारी करने के लिए निधि विमुक्ति के अनुरोध को नोडल अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा।

- 28.12 इसी प्रकार इकाई/परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद 50: के दूसरे किस्त के लिए आवेदक के अनुरोध पर पहली किस्त जारी करने के लिए अनुरोध पर की गयी कार्रवाई के तरह ही टी0एस0जी0 द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
- 28.13 अनुमोदित परियोजना या अनुदान के परिमाण में किसी भी परिवर्तन या डेस्क जांच या क्षेत्र सत्यापन में कोई प्रतिकूलता पाए जाने की स्थिति में नोडल अधिकारी को अग्रेषित करने के बदले टी0एस0जी0 और डी.एफ.ओ. की टिप्पणी/प्रतिक्रिया के साथ निधि जारी करने के अनुरोध को टी0एस0जी0 द्वारा उचित निर्णय के लिए पी.एम.सी को अग्रेषित किया जाएगा और इस निर्णय के आलोक में निधि की विमुक्ति होगी।
- 28.14 टी0एस0जी0 नोडल अधिकारी को देख-रेख में पी.एम.सी. की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करेगा।

29. वन प्रमण्डल पदाधिकारी (डी.एफ.ओ.)

- 29.1 ससमय परियोजना का स्थल सत्यापन एवं चरण-I, चरण-II, एवं चरण-IV, के अनुसार टिप्पणी/प्रतिक्रिया/अनुशंसा का समर्पण।
- 29.2 परियोजना के कार्यान्वयन/वित्तीय सहायता के उपयोग का अनुश्रवण।
- 29.3 वित्तीय सहायता के उचित उपयोग एवं परियोजना के तहत सृजित सम्पत्ति के अनुश्रवण हेतु परियोजनाओं का संचालन शुरू होने के बाद 5 वर्षों तक उनका आवर्ती निरीक्षण।
- 29.4 श्रेणी-‘ग’ एवं ‘घ’ के लिए वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य के अनुसार उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान और ऑनलाईन आवेदन जमा करने में उनको सहयोग देना। यह सुनिश्चित करना कि दिशा-निर्देशों के तहत लाभ एक ही लाभार्थी को बार-बार न दिया जाये।
- 29.5 श्रेणी-‘ग’ और श्रेणी-‘घ’ के पूर्व चयनित लाभार्थियों के लिए मेला-सह-प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना जहां मशीन/उपकरण निर्माता/आपूर्तिकर्ता, लाभार्थी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि लाभार्थियों को उनके पसंद का मानक मशीन/औजार/उपकरण खरीदने का अवसर मिल सके। विस्तृत तौर-तरीके पी.एम.सी. द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

30. परियोजना लागत:

- 30.1 अनुदान की गणना के प्रयोजनार्थ, परियोजना लागत का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा संयंत्र और मशीनरी की लागत, असैनिक निर्माण की लागत, भूमि की लागत और कार्यशील पूंजी।
- 30.2 बशर्ते कि अनुदान हेतु परियोजना लागत की गणना के लिए कार्यशील पूंजी अनुमानित वार्षिक कारोबार का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी,
- 30.3 परंतु इस नीति के तहत अनुदान के गणना के उद्देश्य से विचारित परियोजना लागत में भूमि की कीमत कुल प्रस्तावित निवेश के (भूमि की लागत को छोड़कर) 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगी। इस तरह अनुमोदित परियोजना लागत में परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये भूमि की वास्तविक लागत अथवा भूमि की लागत को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जायेगा।
- 30.4 बशर्ते कि भूमि मूल्य, क्षेत्र के एम.वी.आर. या औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की लागत, जैसा मामला हो, के रूप में लिया जायेगा।
- 30.5 बशर्ते कि परियोजना लागत के मूल्यांकन के उद्देश्य से उपकरण, संयंत्र और मशीनरी का संकेतक ईकाई लागत इस दिशा-निर्देश के अनुबंधों के अनुसार ली जाएगी।
- 30.6 बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए उपकरण, संयंत्रों और मशीनरी की नई ईकाई लागत और विनिर्देश जब अनुमोदन की निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् जब नई प्रौद्योगिकी एवं मशीन उपलब्ध होंगे तब शामिल किया जायेगा।

31. ब्रांडिंग—टी0एस0जी0 और नोडल पदाधिकारी ब्रांडिंग के उद्देश्य से एक प्रतीक चिन्ह विकसित करेंगे। यह प्रतीक चिन्ह बिहार के लाभार्थियों और अन्य काष्ठ आधारित उद्योगों को एक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जायेगा जो इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग ब्रांड विकास के लिए कर सकते हैं।

32. बाजार का विकास—सुलभ बाजार स्थल के रूप में एक बाजार विकसित किया जा सकता है जहां किसान अपने काष्ठ आदि को काष्ठ आधारित उद्योगों को बेच सकें। इसके अलावा एक आभासी बाजार भी विकसित किया जा सकता है जहां खरीदार और बिक्रेता मिल सकें।

33. शिकायत/अपील

- स्त-1 नोडल पदाधिकारी : निवेशक के द्वारा जमा किये गये ऑनलाईन शिकायत प्राप्त करने के बाद, नोडल पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करेंगे।
- स्त-2 पी.एम.सी. : यदि नोडल पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है या निवेशक स्तर-1 के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो, मामला पी.एम.सी. को भेज सकता है। पी.एम.सी. एक माह के भीतर शिकायत का निवारण करेगा।

स्तर-3 मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) : यदि पी.एम.सी. द्वारा 30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है या निवेशक स्तर-2 के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो शिकायत को मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) को भेजा जा सकता है।

34. सुविधा डेस्क |—निवेशकों के पृच्छाओं के सामाधान, परियोजना तैयार करने, मशीनों की पहचान, लागत पता करने, ऑनलाईन समर्पण में सहायता और परियोजना समर्पित करने के लिए अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए नोडल अधिकारी के अधीन एक सुविधा डेस्क का गठन किया जायेगा।

35. जुर्माना |—यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा की जाती है या यदि ऐसी ईकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो पात्र नहीं थी या इस नीति की शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में पूंजीगत अनुदान की राशि, ऐसे लाभ उठाने की तारीख से वार्षिक 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूलनीय होगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में ब्याज सहित वसूल कर सकेगी।

36. विविध |—

36.1 इस दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही होगा जो बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 में परिभाषित है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो इस दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (बी.आई.आई.पी.पी.-2016) में है।

36.2 यह दिशा-निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा दिनांक-31 मार्च 2025 तक चालू रहेगा।
दिशानिर्देश के हिन्दी और अंग्रेजी पाठों में किसी प्रावधान के संबंध में मतान्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

, udl j&1

वक्र फेय ; fuVl dsfy, vlo'; d e' kulk@mi dj. ka dh l ph

द० ल०	e'ku@mi dj. k	rduhdh fof' k'Vrk	{kerk	ifr ; fuV ykxr ekun. M ¼#i; se½
1	बैण्ड सॉ	-	42"	2,50,000
2	मोटर	25 एच पी/ 440 V	-	50,000
3	ट्रॉली मशीन	-	42"	2,45,000
4	चेन सॉ मशीन	-	472	50,000
5	मोटर टाना मशीन	-	1 टन	24,000
6	बैण्ड सॉ ब्लेड ग्राइण्डर	-	8" हिवल	44,000

fl foy fuekzk@Hfe&vkj k fey

द० ल०	xfrfof/k	iz kt u	; fuV ykxr ¼#i; @oxQlW e½	{k-Qy ¼oxQlW e½
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रुम, स्टोर, शोरुम इत्यादि	700	15,000
2	भूमि की आवश्यकता	सॉ मिल की स्थापना हेतु		20,000

, udl j&2
fofu; j fey ; fuVl dsfy, vko'; d e' huku@mi dj. h d h l ph

क्र. सं.	विवरण	परिमाण	प्रति इकाई की लागत	कुल लागत
1	स्पाइण्डल लेस लॉग पीलिंग मशीन	4 फीट		23,00,000
2	लॉग डिबार्कर मशीन/लॉग राउण्ड अप मशीन			11,50,000
3	नाइफ ग्राइण्डिंग मशीन			3,50,000
4	डी जी सेट	82.5 केवीए0		4,88,000
5	डी जी सेट	125 केवीए0		6,16,000
6	डी जी सेट	100 केवीए0		7,34,000
7	पैनल साँ	मोटा स्टील फ्रेम से निर्मित स्टरडली बिल्ट हैवी ड्यूटी मशीन		11,00,000
8	कर्विलिनियर एज बैण्डर	डिजिटल टेम्परेचर नियंत्रक		1,95,000
9	हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस	हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक सिलिंडर्स		3,20,000
10	स्पाइण्डल मॉल्डर			98,000
11	उर्ध्व बैण्ड साँ			3,50,000
12	कम्बाइण्ड सरफेश प्लेनर एण्ड थिकनेसर			4,80,000
13	टेनोनर एण्ड मोरटिजर			58,500
14	ऑटोमेटिक विनियर चॉपिंग मशीन			3,50,000
15	डस्ट कलेक्टर			2,00,000
16	रिप साँ मशीन			1,70,000
17	बुडचिपर मशीन			2,00,000
18	चेन साँ मशीन			50,000

fl foy fuekZk@ hfe&fofu; j fey

क्र. सं.	विवरण	परिमाण	प्रति इकाई की लागत	कुल लागत
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रूम, स्टोर, शोरूम इत्यादि	700	15,000
2	भूमि की आवश्यकता	विनियर मिल की स्थापना हेतु		20,000

, uDl j&4 ,
 Qul7j efdx ; fuVl dsfy, vto'; d e'ku@mi dj. kadh l ph

क्र. सं.	e'ku@mi dj. k	rdubdh fof'kVrk	{lark	ifr ; fuV ykr ekun. M 1/4i ; se 1/2
1	इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन		80मी	1,78,000
2	इलेक्ट्रिक कटर मशीन		4"	6,500
3	ग्राइण्डर मशीन		4"	7,500
4	इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन		1/2"	13,500
5	इलेक्ट्रिक जिगसाँ मशीन		1"	30,000
6	इलेक्ट्रिक राउटर मशीन			7,500
7	हैण्ड प्लेनर		9"	400
8	हैण्ड प्लेनर		14"	5,000
9	हैण्ड साँ		12"	100
10	बसुला (एज)			400
11	क्लैम्प			650
12	बटाली (चिसेल)			150
13	रुखानी (हैण्डलड चिसेल)			150
14	हथौड़ा		1/2 किग्रा	350
15	गुनिया स्केल (ट्राइ एसक्वायर)		8"	350
16	पनचेर (जमुरा)		8"	300
17	पिसर बार (साबल)			600
18	ड्रिल बिट (गिरमिट)		1/2	100
19	नेल (सुम्मा)		4"	40
20	कम्पास		6"	200
21	ग्रुव प्लेनर (खांची रन्दा)			2,500
22	गुरुचखाप			450
23	प्लेनर (डोरीरन्दा)			700
24	छोटा जेनरेटर	5 के0वी0ए0	5 के0वी0ए0	1,52,000
25	पैनल साँ	7.5 एच पी 7 एच पी	7.5 एच पी मोटर 7 एच पी मोटर	4,70,000
26	बीम साँ	2800x60 मी	एअर फ्लोटिंग टेबल 2800x60मी	11,70,000
27	मल्टी बोरिंग		63 स्पाइण्डल ट्रिपल हुड	7,80,000
28	स्पाइण्डल मोल्डर	5 एच पी मोटर 45 डिग्री टिल्ट	5 एच पी मोटर 45 डिग्री टिल्ट	3,06,700
29	पोस्ट फॉर्म		ऑटोमेटिक 2400 एम एम	4,40,000
30	कोल्ड प्रेस	100 टन	100 टन 4 सिलिंडर	7,50,000
31	हॉट प्रेस	120 टन	120 टन 6 सिलिंडर	16,20,000
32	भैक्यूम मेम्बरेन डबल डोर		डबल डोर 1250 एम एम	7,20,000
33	सी0एन0सी0 राउटर	6 KW	6 के0वी0 स्पाइण्डल बिथ भैक्यूम टेबल	8,04,000
34	डस्ट कलेक्टर	7.5 एच पी	7.5 एच पी डबल बैग	98,000
35	18° प्लेनर	5 एच पी	5 एच पी मोटर हैवी	1,65,000
36	बैण्ड साँ	18"	18" हिवल साईज	87,500
37	जिग साँ	36"	36" वर्किंग	35,000
38	ड्रम सैण्डर	3 एच पी मोटर 24" सैण्डर	3 एच पी मोटर 24" सैण्डर	2,58,000
39	चेन मोर्टिजर		चेन एण्ड चिसेल	1,60,000

क्र.सं.	विवरण	एकक	विवरण	दर
40	टेनोमैक	2 एच पी	2 एच पी मोटर	1,20,000
41	टर्निंग लेथ	6फीट	6फीट लम्बाई	65,000
42	ब्लेड ग्राइण्डर	18"	18" ब्लेड साईज	24,000
43	टूल्स (लगभग)			1,00,000
44	एअर कम्प्रेसर 10 एच पी			1,45,000
45	मैनुअल एज बेण्डर		0.5-2 एम एम बिथ 45 डिग्री टिल्ट	2,53,500
46	भैक्यूम मिनी		कॉम्पैक्ट 1250 एम एम	5,95,000
47	हाई स्पीड राउटर		न्यूमेटिक	3,05,500
48	ऑटो मोल्ड		डबल साईज मोल्ड	95,400
49	सैण्डर		डिस्क एण्ड बेल्ट	24,000
50	चेन साँ	1.5 एच पी	1.5 एच पी मोटर	80,000
51	कप ग्राइण्डर	18"	18" ब्लेड	24,000
52	हैमर ड्रिल		22 एम एम कैप ड्रिलिंग	11,890
53	कॉर्डलेस ड्रिल			16,950
54	ऐंगल ग्राइण्डर	4"	4" डिस्क हिवल	3,150
55	ऑरबिटल डिस्क सैण्डर		पेपर एण्ड पैड 125 एम एम	6,400
56	कटर		100एम एम ब्लेड साईज	5,100
57	सरकुलर साँ	7"	7"ब्लेड साईज	6,100
58	कम्पाउण्ड मीटर साँ	250 एम एम	250 एम एम ब्लेड डिग्री कटर	21,300
59	जिग साँ	65 एम एम	65एम एम वुड कटिंग	7,100
60	चेन साँ	400 एम एम	400एम एम चेन साईज	16,800
61	प्लेनर	82 एम एम	82एम एम प्लानिंग कैप	6,700
62	ट्रिमर	6.35 एम एम	6.35एम एम कोलेट	4,900
63	राउटर	12 एम एम	12एम एम कोलेट	9,600
64	डायल स्पैनर सेट	6-32	6-32	762
65	एडजस्टेबल स्पैनर	12"	12" लम्बा	450
66	स्कू ड्राइवर सेट		6 अदद	865
67	एल की सेट		10 अदद	270
68	ग्लू गन	240v	240v	735
69	स्टेपल गन			930
70	प्लॉयर सेट		6 अदद	1,800
71	चाकू			150
72	जैक प्लेनर सेट		3 अदद	2,500
73	मेजरिंग टेप		3मीटर / 5मीटर	350
74	सी-क्लैम्प सेट		6 अदद	3,500
75	स्परिट लेवेल	12"	12"	290
76	हैमर सेट			2,500
77	वुड चिसेल सेट			1,500
78	टूल बैग		नायलॉन	2,500
79	हैमर बिट सेट		5 अदद	1,200
80	कट ऑफ हिवल	4"	50 अदद	1,750
81	भेल्क्रो पैड		50 अदद	2,250
82	सैण्ड पेपर रॉल		4" साइज	2,400
83	टी0सी0टी0 ब्लेड	4"	10 अदद 4"	2,400
84	टी0सी0टी0 ब्लेड	7"	10 अदद 7"	5,500

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	एकक	अंदाजित मूल्य (₹)
85	जिग साँ ब्लेड		1सेट	600
86	ट्रिपर बिट सेट		1 सेट	2,400
87	राउटर बिट सेट		1सेट	3,000
88	ट्राई एसक्वायर सेट			1,200
89	हैण्ड साँ सेट			650
90	टेबल साँ मशीन			21,500

सिविल निर्माण के लिए आवश्यक सामान्य उपकरणों की सूची

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	एकक	अंदाजित मूल्य (₹)
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रुम, स्टोर, शोरूम इत्यादि	700	60,000
2	भूमि की आवश्यकता	फर्नीचर मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु		70,000

इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सूची

सिविल निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सूची

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	एकक	अंदाजित मूल्य (₹)
1	इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन	13"	105000	1,37,000
2	इलेक्ट्रिक कटर साँ	18"	84000	7,000
3	इलेक्ट्रिक कॉम्बो प्लेनर	18 "	18"	78,650
4	इलेक्ट्रिक गेज साँ		12" ब्लेड 3"/2" कटिंग कैप	22,000
5	इलेक्ट्रिक पैनल मोल्डर		44" X 11" (टेबल)	24,50,000
6	इलेक्ट्रिक मोल्डर मशीन		24" X 24" (टेबल)	1,93,000
7	इलेक्ट्रिक जिग साँ मशीन		3/2"	54,000
8	इलेक्ट्रिक बोरिंग मशीन		21 स्पाइण्डल	3,50,000
9	इलेक्ट्रिक कोर मोल्डिंग मशीन		9/2"	80,000
10	इलेक्ट्रिक 3 एच पी राउटर मशीन	3 एच पी	15" X 1"	2,00,000
11	इलेक्ट्रिक चैन साँ मशीन	1/2 "	5/2" (डेप्टथ कटिंग)	31,000
12	इलेक्ट्रिक चैन साँ मशीन	3/4 "	3/4" एसक्वायर	21,000
13	मल्टी बैंड साँ मशीन		6"	64,000
14	इलेक्ट्रिक टर्निंग मशीन (लेथ मशीन)		72" बेड	3,50,000
15	इलेक्ट्रिक टर्निंग मशीन (लेथ मशीन)-पैनल		N/A	20,000
16	मोटर	03 एच पी		8,000
17	स्टेबिलाइजर	50 के0वी0ए0		95,000
18	जेनेरेटर	25 के0वी0ए0		3,44,000
19	इलेक्ट्रिक होल मशीन		1/2 कैप	5,00,000
20	इलेक्ट्रिक फिंगर ज्वाइंट कटर मशीन		5 एच पी	1,44,000
21	सी एन सी इलेक्ट्रिक 4X राउटर मशीन		4.5 के0वी0	6,50,000
22	भैक्यूम क्लैम्प			3,75,000
23	केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट			6,75,000
24	सीजनिंग प्लांट	1000 सीएफटी		5,00,000
25	सीजनिंग चैम्बर			15,00,000
26	बॉयलर प्लांट			3,50,000

विद्युत उपकरणों की आवश्यकता ; अनुमानित

क्र.सं.	विवरण	इकाई	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रूम, स्टोर, शोरूम इत्यादि	700	60,000
2	भूमि की आवश्यकता	मॉडर्न फर्नीचर मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु		70,000

उपकरण

कारिगर (Artisans) की आवश्यकता ; अनुमानित

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा
1	स्कू ड्राइवर सेट ; 6 अदद सेट	350
2	ग्लू गन	700
3	स्टेपल गन	488
4	स्टेपल पिन (बॉक्स)	200
5	न्यूमेटिक नेलर	8,800
6	प्लॉयर	775
7	पिनसर	200
8	स्नैप ऑफ नाइफ	160
9	नाइफ ब्लेड	200
10	हैक सॉ फ्रेम	300
11	ब्लॉक प्लेन	500
12	जैक प्लेन	2,200
13	टॉरपीडो लेवेलस	159
14	चॉक लाइन सेट	531
15	जी क्लैम्प 6 अदद सेट	1,500
16	क्लॉ हैमर	280
17	मशिनिस्ट हैमर	379
18	वुड चिसेल सेट 1/2, 3/4, 1" 1/4, 1 1/2, 2" (6 अदद)	4,500
19	टूल बैग वाटर प्रूफ	2,000
20	डिजिटल वेन्टर	4,500
21	इलेक्ट्रिक हैण्ड ड्रिल	7,500
22	इलेक्ट्रिक ग्राइण्डर	8,000
23	इलेक्ट्रिक प्लेनर	12,000
24	इलेक्ट्रिक ट्रिमर	9,500
25	इलेक्ट्रिक जिग सॉ	5,300
26	इलेक्ट्रिक कटर	3,800
27	एयर कम्प्रेसर सेट पोर्टेबल	40,000
28	वुड कार्विंग टूल्स	2,500
29	राउटर बिट सेट	6,000
30	ड्रिल बिट सेट एच एस एस	8,000
31	वुड ड्रिल सेट	800
32	फाइल सेट (Different Size) (10 अदद)	1,500
33	ट्राई एसक्वायर सेट	2,500
34	कॉम्बिनेशन एसक्वायर	850

क्र.सं.	विवरण	कीमत (₹)
35	मीटर सॉ	28,000
36	हैमर ड्रिल	19,500
37	इलेक्ट्रिक ब्लोअर	4,000
38	स्कू ड्राइवर बैटरी	9,500
39	स्पे गन्स	3,500
40	सैण्ड्स	6,500
41	हेल सॉ कटर सेट	2,000
42	हिंग बोरिंग सेट	500

क्र.सं. 1 से 29 तक के उपकरणों की सूची

क्र.सं.	विवरण	कीमत (₹)
1	बाँस काँस कटिंग मशीन	56,000
2	बाँस चेन एसप्लिटर मशीन (Vertical Type)	2,25,000
3	बाँस स्लाइसर मशीन (हैवी ड्यूटी)	67,000
4	बाँस राउण्ड स्टिक मेकिंग मशीन	1,90,000
5	बाँस स्टिक सिजिंग मशीन	85,000
6	बाँस पॉलिसिंग मशीन	1,20,000
7	बाँस थिन स्लाइसर मशीन	55,000
8	बाँस एक्सटरनल नॉट रिमूविंग मशीन	52,000
9	बाँस एसक्वायर स्टिक मेकिंग मशीन	2,15,000
10	बेल्ट सैण्डर मशीन	70,000
11	टूल किट बाँक्स बिथ टूल्स	19,500
12	पिलर ड्रिल (छोटा)	26,000
13	ड्रायर (4' x 4' x 4')	2,60,000
14	वैक्यूम प्रेसर इम्प्रेगनेशन प्लान्ट (12')	5,00,000
15	सेड फॉर बाँस ट्रिटमेंट एण्ड सिजनिंग प्लान्ट	6,50,000
16	बाँस एसप्लिटर मशीन	2,10,000
17	बाँस एसप्लिटर	8,000
18	बाँस कटिंग नाइफ्स	1,300
19	बाँस मिजरिंग टेप	450
20	बाँस मिजरिंग स्केल	350
21	बाँस कटिंग टेबल	9,000
22	बाँस सिजरस	250
23	बाँस सैण्डपेपर	120
24	बाँस मेकर	20
25	बाँस क्लिनिंग क्लॉथ एण्ड सॉल्यूशन	475
26	बाँस इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर	250
27	बाँस नेल्स हैमर	275
28	एडेसिव	600
29	बाँस ट्रिमिंग टूल्स	1,000

आवश्यकतानुसार सूची में अन्य उपकरणों को जोड़ा जायेगा। एनेक्सर 7.

Jsh , @ch ds vlrzZ vupku nok grqvugk i=

सेवा में,

ukMy ink/kdjh

अरण्य भवन, राइडिंग रोड,
पटना -800014 बिहार.

विषय- बिहार काष्ठ आधारित औद्योगिक निवेश दिशानिर्देश, 2021 श्रेणी ए/बी के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करने हेतु आवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

कृपया बिहार काष्ठ आधारित औद्योगिक निवेश दिशानिर्देश, 2021 श्रेणी ए/बी के अंतर्गत अनुदान हेतु संलग्न आवेदन पत्र प्राप्त करें श्री _____

पिता _____

यूनिट /कम्पनी का नाम _____ निबंधन की संख्या _____

धन्यवाद,

तिथि:

स्थान:

विश्वासभाजन

श्री _____
दूरभाष संख्या—

fcglj dk'B vkWjr vks kxd fuosk fn'kfuzk

i; kZj.k ou , oat yok qifjorZ foHx| fcglj ljdkj

Jsh , @ch ds varzZ vupku nok grqvugk i=

foUkr, o"e(20 -20)

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का फोटो	
3	पिता का नाम	
4	आधार नंबर	
5	मोबाईल नं०	
6	ई-मेल	
7	स्थल का पता (i) पता (ii) खाता (iii) खेसरा (iv) मौजा (v) पंचायत (vi) ब्लॉक (vii) जिला	
8	घर का पता	
9	कम्पनी का नाम	

10	अनुज्ञप्ति संख्या	
11	उद्योग विभाग का निबंधन संख्या	
12	जी0एस0टी0 संख्या	
13	बिक्रीकर संख्या	
14	विद्युत उपभोक्ता संख्या	
15	मौजूदा इकाई	आरा मिल/विनियर मिल/प्लाईवुड यूनिट/ फर्निचर मेकिंग यूनिट इत्यादि
16	श्रेणी ए/बी के लिए आवेदित	
17	प्रयोजन	
18	विशेष प्रोत्साहन	
a	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत निवेशकों हेतु दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
b	महिला/अक्षम या दिव्यांग/युद्ध विधवा/एसिड एटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर निवेशकों के अंतर्गत दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
19	बैंक विवरणी	
a	कम्पनी खाता संख्या	
b	बैंक खाताधारी का नाम	
c	बैंक का नाम	
d	आई0एफ0एस0सी0 कोड	
e	बैंक का पता	
20	प्रशिक्षण का विवरण	
21	क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि क्षेत्र	

????

1. प्रमाणित करना है कि दी गई उपरोक्त सूचना जानकारी के अनुसार सही है तथा कोई विसंगति/विसंगता पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र वर्जित हो जायेगा।
2. (क) यह कि मैं ने बी0आई0आई0पी0पी0, 2016 के अन्तर्गत उद्योग विभाग, बिहार सरकार से श्रेणी ए/बी में सबवेंशन अनुदान/वित्तीय अनुदान ब्याज प्राप्त किया है जो / रुपये..... (शब्दों में.....) है (हां/नहीं)
- (ख) उपरोक्त में "नहीं" की स्थिति में,
यह कि मैं ने बी0आई0आई0पी0पी0, 2016 के अन्तर्गत उद्योग विभाग, बिहार सरकार से श्रेणी ए/बी में सबवेंशन अनुदान/वित्तीय अनुदान ब्याज प्राप्त नहीं किया है।
(हां/नहीं)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

नाम

बिहार गजट (असाधारण), 10 मार्च 2022
 बिहार गजट (असाधारण), 10 मार्च 2022
 बिहार गजट (असाधारण), 10 मार्च 2022

1	वर्तमान इकाई	आरा मिल/विनियर मिल/प्लाईवुड यूनिट/फर्निचर मेकिंग यूनिट
2	कम्पनी का नाम	
3	मालिक का नाम	
4	अनुज्ञप्ति संख्या	
5	उद्योग विभाग का निबंधन संख्या	
6	साईट का पता (i) पता (ii) खाता (iii) खेसरा (iv) मौजा (v) पंचायत (vi) ब्लॉक (vii) जिला	
7	चौहद्दी क. उत्तर ख. दक्षिण ग. पूरब घ. पश्चिम	
8	विद्युत उपभोक्ता संख्या	
9	जीएसटी संख्या	
10	बिक्रीकर संख्या	
11	इकाई का क्षेत्रफल	
12	निर्माण क्षेत्र	
13	मशीनों की सूची (मशीनों का नाम)	विशेष विवरण
a		
b		
c		

fcglj dK'B vkWfjr vks kxd fuosk fn' kfunZk
i; kZj.k ou , oat yok qifjorZ foHkx| fcglj ljdj
Jskh , @ch ds vxZ vumku nlok grql aXu nLrhot kack t k l ph

द० ल०	वर्णन	संलग्न/नहीं संलग्न
d	Q fDrxr fooj.k	
1	आधार की प्रति	
2	पैन कार्ड की प्रति	
[k	कम्पनी का विवरण	
1	अनुज्ञप्ति की प्रति	
2	जी0एस0टी0 निबंधन और बिक्रीकर संख्या की प्रति	
3	कम्पनी निबंधन की प्रति	
4	अंतिम तीन वर्षों के इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति	
5	साईट के वर्तमान ले-आउट प्लान की प्रति	
x	प्रस्ताव का अभिलेख	
1	तकनीकी विशिष्टताओं वाले उपकरणों/मशीनों की सूची का कोटेशन/ इनवॉयस	
2	तकनीकी विशिष्टताओं वाले उपकरणों/मशीनों की अतिरिक्त सूची का कोटेशन/ इनवॉयस	
3	क्रय की गई प्रस्तावित भूमि के विवरण से संबंधी अभिलेख की प्रति	
4	प्रस्तावित सिविल कार्य-ले आउट प्लान और डी0पी0आर0 की प्रति	
5	कर्मचारी का प्रस्तावित प्रशिक्षण	
6	प्रदूषण नियंत्रण पर्यद द्वारा निर्गत सी0टी0ई0/सी0टी0ओ0 की प्रति	
D	विशेष प्रोत्साहन के अंतर्गत दावा	
1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवेशकों के अंतर्गत दावा (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति)	
2	महिला/ अक्षम या दिव्यांग/युद्ध विधवा/ एसिड एटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर निवेशकों के अंतर्गत दावा (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति) यथा <ol style="list-style-type: none"> दिव्यांग- यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए) युद्ध विधवायें - RSBs/ZSB से निर्गत पहचान पत्र तेजाब पीड़ित -एफ0आई0आर और सरकारी अस्पताल से निर्गत प्रमाण थर्ड जेंडर -ट्रांसजेंडर पहचान पत्र/प्रमाण पत्र 	

fcglj dK'B vK'Wjr vK' k'xd fuošk fn' kfunZk
i; k'j. k' ou , oat yok qifjorZi foHkx] fcglj ljdKj
Jskh , @ch dsvarxZ' vupku grqnlök dsfy, foR'h iZrko

ulw: श्रेणी ए--परियोजना की न्यूनतम लागत रू0 10.00 लाख एवं अधिकतम लागत रू0 2.0 करोड़ होना चाहिए। अनुमान्य वित्तीय सहायता @ 35% अधिकतम रू0 70.00 लाख

श्रेणी बी- परियोजना की न्यूनतम लागत रू0 50.00 लाख एवं अधिकतम लागत रू0 5.0 करोड़। अनुमान्य वित्तीय सहायता @ 35% अधिकतम रू0 175.00 लाख

दश ल	vibVe	ifj; k' uk ykxr (#i; s'è)
1	मशीनों/उपकरणों का कुल लागत	
2	अतिरिक्त मशीनों/उपकरणों का कुल लागत (दिशानिर्देश में सूचीबद्ध नहीं है)	
3	सिविल कार्य पर प्रस्तावित कुल राशि	
4	कर्मचारी प्रशिक्षण पर कुल राशि	
5	कार्यरत पूंजी के लिए कुल प्रस्तावित राशि (नोट-प्रोजेक्टडेड वार्षिक कारोबार का अधिकतम 20%)	
6	fo'kk i'kR lgu dsvarxZ' nlok	
a	अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवेशकों के अंतर्गत दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान	
b	महिला, दिव्यांग, युद्ध विधवायें, तेजाब पीड़ित और थर्ड जेण्डर निवेशकों के अंतर्गत दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान	
7	भूमि लागत छोड़कर कुल प्रस्तावित परियोजना लागत	
8	क्रय किये गये प्रस्तावित भूमि मूल्य की कुल राशि (नोट-भूमि का मूल्य अथवा भूमि का वास्तविक लागत जो भी कम हो, निवेश के 10% की सीमा से अनधिक विचारणीय होगा। बशर्ते कि भूमि का मूल्य क्षेत्र के एम0वी0आर0 अथवा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के मूल्य; जो भी लागू हो, के रूप में गणित होगा।	
9	परियोजना लागत का कुल योग (7+8)	
10	परियोजना लागत का कुल योग का स्वीकार्य अनुदान@35%	
a	प्रथम किस्त की राशि - 50% (संयंत्र और मशीन के क्रय और स्थापना के पश्चात्	
b	द्वितीय किस्त की राशि - 50% (यूनिट/परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात्	

वृत्तिका फुल्ल दजुस गुरुवृत्तिका इ = & J s kh ,

सेवा में,

उत्तम इन्क/कल्ल

अरण्य भवन, राइडिंग रोड,
पटना -800014 बिहार.

विषय - बिहार काष्ठ आधारित औद्योगिक निवेश दिशा निर्देश, 2021 श्रेणी ए/बी के अंतर्गत अनुदान का पहला/दूसरा किस्त मुक्त करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

कृपया बिहार काष्ठ आधारित औद्योगिक निवेश दिशानिर्देश, 2021 श्रेणी ए/बी के अंतर्गत 50% अनुदान का पहला किस्त/50% अनुदान का दूसरा किस्त को मुक्त करने हेतु संलग्न आवेदन पत्र प्राप्त करें

श्री _____

पिता _____

यूनिट का नाम _____ अनुज्ञप्ति की संख्या _____

धन्यवाद,

तिथि:

स्थान:

विश्वासभाजन,

श्री _____

दूरभाष संख्या—

8	डी डी सॉ कटिंग मशीन बोथ साईड	8 फीट* 4 फीट	18,50,000							
9	सैण्डिंग मशीन डबल बेल्ट	1300 एम एम	17,50,000							
10	सैण्डिंग मशीन डबल बेल्ट बोथ साईड	1300 एम एम	35,00,000							
11	एज सैण्डिंग मशीन	2500 एम एम	7,50,000							
12	डिपिंग मशीन	8 फीट	3,10,000							
13	ब्रश सैण्डिंग मशीन	8 फीट	6,50,000							
14	ग्लू केटल एस एस	4 टन	5,75,000							
15	डी जी सेट	200 के0वी0ए0	10,07,000							
16	डी जी सेट	350 के0वी0ए0	19,00,000							
17	सिजर लिफ्ट	2 टन /3 एम टी	4,50,000							
18	ग्लू मिक्सचर	400 लीटर 3 एच पी	1,75,000							
19	पैडल चॉपिंग	56" नाइफ 3 एच पी	45,000							
20	ग्लू स्प्रेडर		1,75,000							
21	एल्युमिनियम प्लेट	8 फीट* 4 फीट (2.5 एम एम मोटा)	210/किग्रा							
22	ऑटोमेटिक स्टैम्पिंग मशीन		11,00,000							

fl foy fuekZk i Zrk

d0 l 0	fooj.k				fuoskd } kjk i Zrkfor (fuoskd } kjk nt Zfd; k t k, sk)			foHkx } kjk Lohdr (foHkx } kjk nt Z fd; k t k, sk)	
	xfrfof/k	iz kt u	; fuV ylxr 1#i; 0 oxZjN e#2	{#=Qy 10xZjN e#2	; fuV ylxr 1#i; 0 oxZjN e#2	{#=Qy 10xZjN e#2	dy ylxr 1#i; se#2	dy vuqku nk	dy Lohrk; Zvuqku
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रुम, स्टोर, शोरूम इत्यादि	700	60,000					
2	भूमि की आवश्यकता	प्लाईवुड यूनिट की स्थापना हेतु		70,000					

68	ग्लू गन	240V	735																	
69	स्टेपल गन		930																	
70	प्लॉयर सेट Plier Set	6 अदद	1,800																	
71	चाकू		150																	
72	जैक प्लेनर सेट	3 अदद	2,500																	
73	मेजरिंग टेप	3 मीटर / 5 मीटर	350																	
74	सी-क्लैम्प सेट	6 अदद	3,500																	
75	स्प्रिट लेवेल	12"	290																	
76	हैमर सेट		2,500																	
77	बुड चिसेल सेट		1,500																	
78	टूल बैग	नॉयलन	2,500																	
79	हैमर बिट सेट	5 अदद	1,200																	
80	कट ऑफ द्विवल 4"	50 अदद	1,750																	
81	भेल्को पैड	50 अदद	2,250																	
82	सैण्ड पेपर रॉल	4" साईज	2,400																	
83	टी0सी0टी0 ब्लेड	10 अदद 4"	2,400																	
84	टी0सी0टी0 ब्लेड	10 अदद 7"	5,500																	
85	जिग सॉ ब्लेड	1 सेट	600																	
86	ट्रिमर बिट सेट	1 सेट	2,400																	
87	राउटर बिट सेट	1 सेट	3,000																	
88	ट्राई एसक्वायर सेट		1,200																	
89	हैण्ड सॉ सेट		650																	
90	टेबल सॉ मशीन		21,500																	

fl foy fuekZk i Zrk0

d0 l 0	fooj .k				fuoskd }kjk i Zrkfor (fuoskd }kjk nt Z fd; k t k, sk)				foHkx }kjk Lohdr (foHkx }kjk nt Z fd; k t k, sk)
	xfrfof/k	iz kt u	; fuV ykxr 1/i; 0 oxZjN e#	{k-Qy 1oxZjN e#	; fuV ykxr 1/i; 0 oxZjN e#	{k-Qy 1oxZjN e#	dy ykxr 1/i; se#	dy vumku nk0k	dy Lohdk Z vumku
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रुम, स्टोर, शोरुम इत्यादि	700	60,000					
2	भूमि की आवश्यकता	फर्निचर मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु		70,000					

ekWu Qulbj efdax ; fuVl dsfy, vlo'; d e' huku@mi dj. hsdk ifj; kt uk ykxr
, udl j&4 ch

क्र.सं.	वस्तु का विवरण			वस्तु का मूल्य (रु. में)							कुल मूल्य (रु. में)
	वस्तु का नाम	आकार/माप	प्रति इकाई की संख्या	एक इकाई का मूल्य	दो इकाई का मूल्य	तीन इकाई का मूल्य	चार इकाई का मूल्य	पांच इकाई का मूल्य	छह इकाई का मूल्य	सात इकाई का मूल्य	
1	इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन	13 "/105000		1,37,000							
2	इलेक्ट्रिक कटर साँ	18 "/ 84000		7,000							
3	इलेक्ट्रिक कॉम्बो प्लेनर	18 "		78,650							
4	इलेक्ट्रिक गेज साँ	12" ब्लेड 3"/2" कटिंग कैप		22,000							
5	इलेक्ट्रिक पैनल मोल्डर	44" X 11" (टेबल)		24,50,000							
6	इलेक्ट्रिक मोटर मशीन	24" X 24" (टेबल)		1,93,000							
7	इलेक्ट्रिक जिग साँ मशीन	3/2"		54,000							
8	इलेक्ट्रिक बोरिंग मशीन	21 स्पाइण्डल		3,50,000							
9	इलेक्ट्रिक कोर मोल्डिंग मशीन	9/2"		80,000							
10	इलेक्ट्रिक 3 एच पी राउटर मशीन	3 एच पी/ 15" X 1"		2,00,000							
11	इलेक्ट्रिक चैन साँ मशीन	1/2 इंच/ 5/2" (डेपथ कटिंग)		31,000							
12	इलेक्ट्रिक चैन साँ मशीन	3/4 इंच		21,000							
13	मल्टी बैंड साँ मशीन	6"		64,000							
14	इलेक्ट्रिक टर्निंग मशीन (लेथ मशीन)	72" बेड		3,50,000							
15	इलेक्ट्रिक टर्निंग मशीन (लेथ मशीन)-पैनल	N/A		20,000							
16	मोटर	03 एच पी		8,000							
17	स्टेबिलाइजर	50 के0वी0ए0		95,000							
18	जेनेरेटर	25 के0वी0ए0		3,44,000							
19	इलेक्ट्रिक होल मशीन	1/2 कैप		5,00,000							
20	इलेक्ट्रिक फिगर ज्वाइंट कटर मशीन	5 एच पी		1,44,000							
21	सी एन सी इलेक्ट्रिक	4.5 किलो वाट		6,50,000							

	4X राउटर मशीन										
22	भैक्यूम क्लैम्प		3,75,000								
23	केमिकल ट्रीटमेण्ट प्लांट		6,75,000								
24	सीजनिंग प्लांट	1000 सी0एफ0टी	5,00,000								
25	सीजनिंग चैम्बर		15,00,000								
26	बॉयलर प्लांट		3,50,000								

fl foy fuekZk i Zrk

d0 l0	fooj.k				fuoskd }kj i Zrkfor (fuoskd }kj nt Zfd; k t k sk)				foHkx }kj Lohdr (foHkx }kj nt Zfd; k t k sk)
	xfrfof/k	iz kt u	; fuV ykxr /#i; @ oxQ/N e#z	{k-Qy /0xQ/N e#z	; fuV ykxr /#i; @ oxQ/N e#z	{k-Qy /0xQ/N e#z	dy ykxr /#i; s#z	dy vuqku nbok	dy Lohdk; Z vuqku
1	सिविल निर्माण	शेड, चारदीवारी, कार्यालय, टूल रुम, स्टोर, शोरूम इत्यादि	700	60,000					
2	भूमि की आवश्यकता	मॉडर्न फर्निचर मेकिंग यूनिट की स्थापना हेतु		70,000					

vKvZ U ; fuV1 dsfy, e' hu@mi dj. k dk ifj; k uk ykxr , udl j&5

d0 l0	fooj.k				fuoskd }kj i Zrkfor (fuoskd }kj nt Zfd; k t k sk)				foHkx }kj Lohdr (foHkx }kj nt Zfd; k t k sk)
	e' hu@mi dj.k	rduhdh fof'K'Vrk@fkerk	ifr ; fuV ykxr ekun. M /#i; s#z	dEi uh dk uke ed@eMy	rduhdh fof'K'Vrk@ fkerk	bdlbZykxr	bdlb; ladh l q; k	dy jk'k	dy vuqku nbok
1	स्कू ड्राइवर सेट (6 अदद सेट)		350						
2	ग्लू गन		700						
3	स्टेपल गन		488						
4	स्टेपल पिन (बॉक्स)		200						
5	न्यूमेटिक नेलर		8,800						
6	प्लीयर		775						
7	पिनंसर		200						

8	स्नैप ऑफ नाईफ		160								
9	नाईफ ब्लेड		200								
10	हैक साँ फ्रेम		300								
11	ब्लॉक प्लेन		500								
12	जैक प्लेन		2,200								
13	टॉरपीडो लेवेल्स		159								
14	चॉक लाइन सेट		531								
15	जी क्लैम्प 6 अदद सेट		1,500								
16	क्लॉ हैमर		280								
17	मशिनिस्ट हैमर		379								
18	वुड चिसेल सेट(6 अदद)	1/2, 3/4, 1" 1 1/4, 1 1/2, 2"	4,500								
19	टूल बैग वाटर प्रूफ		2,000								
20	डिजिटल वेन्टर		4,500								
21	इलेक्ट्रिक हैण्ड ड्रिल		7,500								
22	इलेक्ट्रिक ग्राइण्डर		8000								
23	इलेक्ट्रिक प्लानर		12,000								
24	इलेक्ट्रिक ट्रिमर		9,500								
25	इलेक्ट्रिक जिगसाँ		5,300								
26	इलेक्ट्रिक कटर		3,800								
27	एयर कम्प्रेसर सेट पोर्टेबल		40,000								
28	वुड कार्विंग टूल्स		2,500								
29	राउटर बिट सेट		6,000								
30	ड्रिल बिट सेट एच एस एस		8,000								
31	वुड ड्रिल सेट		800								
32	फाइल सेट (Different Size) (10 अदद)		1,500								
33	ट्राई एसक्वायर सेट		2,500								
34	कॉम्बिनेशन एसक्वायर		850								
35	मीटर साँ		28,000								
36	हैमर ड्रिल		19,500								
37	इलेक्ट्रिक ब्लोअर		4,000								
38	स्कू ड्राइवर बैटरी		9,500								
39	स्पे गन्स		3,500								
40	सैण्ड्स		6,500								
41	हेल साँ कटर सेट		2,000								
42	हिग बोरिंग सेट		500								

वृ & उडि j 7
 fclj dK'B vk/kjr vls k'xd fuos'k fn' kfunZk
 i; k'j.k ou , oat yok qifjorZ foHkx| fclj ljdj
 Js kh l h@Mh ds varxz vupku nlok grqvkosu i=
 foUk, o"k(20 -20)

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का फोटो	
3	पिता का नाम	
4	आधार नंबर	
5	मोबाईल नं०	
6	ई-मेल	
7	स्थल का पता	
8	घर का पता	
9	दुकान का नाम (श्रेणी सी)	
10	लाइसेन्स नंबर (श्रेणी सी में)	
11	श्रेणी सी/डी हेतु आवेदित	
12	प्रयोजन	
13	fo'kk i k'lg	
a	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत निवेशकों के अंतर्गत दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान	
b	महिला/अक्षम या दिव्यांग/युद्ध विधवाओं/ एसिड एटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर निवेशकों के अंतर्गत दावा @ 5% अतिरिक्त अनुदान	
14	csdx@csd foj.k	
a	कम्पनी खाता संख्या	
b	बैंक खाताधारी का नाम	
c	बैंक का नाम	
d	आई0एफ0एस0सी0 कोड	
e	बैंक का पता	
15	आवश्यक मशीनों की सूची	संलग्न
16	प्रशिक्षण का विवरण	

?kk k

प्रमाणित करना है कि दी गई उपरोक्त सूचना जानकारी के अनुसार सही है तथा कोई विसंगति/विसंगता पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र वर्जित हो जायेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 100-571+500-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>